

निर्यात के लिए सोर्सिंग की सुविधा के वास्ते ई-स्पाइस बाजार पोर्टल के माध्यम से मसालों की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने हेतु फर्मों से रूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित की जाती है

विषय-सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	आमंत्रण पत्र	3
2	स्पाइसेस बोर्ड के बारे में	4
3	विहंगावलोकन	4
4	उद्देश्य	5
5	अभिरुचि की अभिव्यक्ति	5
6	न्यूनतम पात्रता मानदंड	5
7	कार्य-क्षेत्र/प्रदेय	6
8	ईओआई प्रस्तुति में शामिल दस्तावेज	8
9	चयन प्रक्रिया	9
10	ईओआई के लिए आमंत्रण की संशोधन/अस्वीकृति/समाप्ति	10
11	अनुबंध	11

1. आमंत्रण पत्र

स्पाइसेस बोर्ड सक्षम फर्मों से निर्यात के लिए सोर्सिंग की सुविधा के लिए बोर्ड के ई-मसाला बाजार पोर्टल के माध्यम से देश भर में विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में उत्पादित मसालों के लिए बिक्री पूर्व बिक्री, बिक्री और बिक्री के बाद की गतिविधियों के संबंध में बिक्री से पहले की बिक्री, बिक्री और बिक्री के बाद की गतिविधियों के संबंध में एंड-टू-एंड एकीकृत समाधान प्रदान करने में सक्षम उपयुक्त फर्मों का चयन करने और नियुक्त करने के लिए सीलबंद रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है।

पात्रता मानदंड, प्रस्तुति अपेक्षाओं, उद्देश्य, कार्य-क्षेत्र, प्रदेशों, मूल्यांकन मानदंड इत्यादि के विवरण वाले ईओआई दस्तावेज़ को स्पाइसेस बोर्ड की वेबसाइट (www.indianspices.com) और सरकारी ई-प्रापण पोर्टल (<https://etenders.gov.in/eprocure/app>) से डाउनलोड किया जा सकता है। ईओआई की प्रतिक्रियाएँ श्री नितिन जो, उप निदेशक, स्पाइसेस बोर्ड, एनएच बायपास, पलारीवेटम - 682025 को डाक से या ईमेल द्वारा nithin.joe@nic.in पर, दिनांक 12.05.2021 को सांय 5.00 बजे से पहले प्रस्तुत करनी होंगी। ईओआई प्रतिक्रियाएं ईओआई में उल्लिखित से आवश्यक सहायक दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुति की जानी चाहिए।

दस्तावेज़ों की भौतिक प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने की स्थिति में दस्तावेज़ों को एक लिफाफे में रखा जाए और उसके ऊपर निर्यात के लिए सोर्सिंग की सुविधा के लिए ई-मसाला बाजार पोर्टल के माध्यम से मसालों की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के लिए फर्मों से रुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) लिखा जाए। ईओआई दस्तावेज़ों के साथ वाणिज्यिक बोली/सूचना के बारे में किए गए किसी भी उल्लेख से ईओआई निरपवाद रूप से अस्वीकार हो जाएगी।

ईओआई की प्राप्ति पर, स्पाइसेस बोर्ड की एक मूल्यांकन समिति केवल उन्हीं फर्मों को शॉर्टलिस्ट करेगी जो पात्रता मानदंडों को पूरा करती हैं। तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों वाले प्रस्तावों (आरआरपी) के लिए अनुरोध केवल ऐसी शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों से आमंत्रित किया जाएगा, ताकि विजेता बोलीदाता का चयन किया जा सके।

क्र.सं.	महत्वपूर्ण तिथियां	दिनांक	समय
1.	ऑनलाइन प्रकाशन/ ईओआई दस्तावेज़ डाउनलोड करने की तिथि	27.04.2021	16.00 बजे
2	पोस्ट/ईमेल द्वारा प्रतिक्रियाओं की प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि	12.05.2021	17.00 बजे

अधिक जानकारी, यदि कोई हो, निम्नलिखित से प्राप्त की जा सकती है

श्री नितिन जो

उप निदेशक (विपणन),

स्पाइसेस बोर्ड, सुगांध भवन,

पलारीवेटम. पीओ, कोच्चि-25. ईमेल: nithin.joe@nic.in

संपर्क नंबर: 0484 2333610, विस्तार: 510

मोबाइल: 9947166844

सचिव

स्पाइसेस बोर्ड, कोच्चि

टिप्पणी: स्पाइसेस बोर्ड का ईओआई के लिए इस अनुरोध को रद्द करने और/या नए ईओआई को आमंत्रित करने का/संशोधन सहित/संशोधन रहित इस तरह के अनुरोध के लिए किसी भी दायित्व सहित या दायित्व रहित और किसी भी कारण को बताए बिना एक अलग प्रक्रिया करने का अधिकार सुरक्षित है। इस स्तर पर दी गई सूचना सांकेतिक है और बोर्ड का ईओआई में संशोधन करने/अधिक ब्यौरा जोड़ने का अधिकार सुरक्षित है।

2. स्पाइसेस बोर्ड के बारे में

स्पाइसेस बोर्ड (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार) भारत से मसालों और मसालों के उत्पादों के विकास और दुनिया भर में बढ़ावा देने का प्रमुख संगठन है। यह बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेशों में आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संपर्क है और निर्यात संवर्धन, फसल कटाई के बाद सुधार, प्रसंस्करण और मसालों के मूल्य वर्धन के लिए और मसालों के निर्यात सीर्सिंग को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है।

3. विहंगावलोकन

मसालों की बेहतर पहुंच और मसालों की मूल्य प्राप्ति के लिए स्पाइसेस बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से 2015 से 2018 तक 36 महीने की अवधि के लिए "ई-मसाला बाजार" नामक एक प्रायोगिक परियोजना लागू की थी। इस परियोजना को मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम और गुंटूर जिलों और तेलंगाना के खम्मम और वारंगल जिलों के मिर्च और हल्दी उत्पादक क्षेत्रों में एक आईटी सक्षम प्लेटफॉर्म ई-मसाला बाजार वेबपोर्टल के माध्यम से लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश के गुंटूर और प्रकाशम जिलों और तेलंगाना के खम्मम और वारंगल जिलों के कुल 53941 मिर्च और हल्दी किसानों ने पोर्टल में पंजीकरण करवाया है (आंध्र प्रदेश में 6052 हल्दी और 22004 मिर्च किसान; तेलंगाना के 5111 हल्दी और 20774 मिर्च किसान)।

इस परियोजना में अलग-अलग मसाला किसानों को व्यापारियों/निर्यातकों से जुड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म (<http://www.espicebazaar.in>) सक्षम करने की परिकल्पना की गई थी, जिससे किसानों तक बेहतर बाजार पहुंच और मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। ई-मसाला बाजार परियोजना वेब पोर्टल की कुछ अतिरिक्त विशेषताएं सलाहकार सेवाएं (प्रथाओं का पैकेज, परीक्षण प्रयोगशालाओं के पते, महत्वपूर्ण स्थलों से लिंक आदि), सूचना सेवाएं (मौसम की जानकारी, नवीनतम मूल्य, पंजीकृत किसानों और खरीदारों की निर्देशिका, थोक प्रस्ताव निगरानी के लिए कटाई अनुसूची का प्रबंधन, गुणवत्ता परीक्षण और अन्य प्रासंगिक रिपोर्ट, आदि अपलोड करने का प्रावधान) और पता लगाने की क्षमता सेवाओं (ग्लोबल फार्म आइडेंटिफिकेशन (जीएलएन) प्रत्येक खेत में पता लगाने की क्षमता के लिए) थी। पायलट परियोजना 2018 में पूरी हुई थी और पोर्टल में भुगतान गेटवे के समावेश को छोड़कर पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सभी उद्देश्य पूरे कर लिए गए थे। ई-मसाला बाजार पोर्टल को उस क्षेत्र के किसानों ने अच्छी तरह से स्वीकार किया जहां इसे लागू किया गया था और पोर्टल व्यापार स्थापित करने में सक्षम था। हालांकि, परिणामी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा उस समय, ऑनलाइन लेनदेन के संचालन के साथ-साथ भुगतान गेटवे का समावेश न करने में किसानों की विशेषज्ञता की सापेक्ष कमी के कारण पोर्टल के बाहर प्रभावित हो गया।

स्पाइसेस बोर्ड ने उपयुक्त सेवा प्रदाताओं को शामिल कर ई-मसाला बाजार वेब पोर्टल को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा, स्पाइसेस बोर्ड भारतीय मसालों के लिए "ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस" विकसित करने के लिए यूएनडीपी के साथ सहयोग कर रहा है। यूएनडीपी द्वारा इंटरफेस विकसित होने के बाद ई-मसाला बाजार पोर्टल के साथ इस इंटरफेस को एकीकृत करने का प्रस्ताव है।

ई-मसाला बाजार पोर्टल के सुदृढ़ होने के बाद, स्पाइसेस बोर्ड ई-मसाला बाजार पोर्टल को रखना जारी रखेगा, सेवा प्रदाताओं द्वारा मसालों की ऑनलाइन बिक्री की निगरानी करेगा, उनके प्रदर्शन की निगरानी करेगा, परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करेगा और व्यापार की मात्रा और प्रणाली की समग्र दक्षता को बढ़ाने के लिए आवश्यक समझा गया उपयुक्त कदम उठाएगा। सेवा प्रदाता एक व्यापार मॉडल पर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे और खरीदारों/विक्रेताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

4. उद्देश्य

ईओआई का उद्देश्य निर्यात के लिए सोर्सिंग की सुविधा के लिए ई-मसाला बाजार पोर्टल के माध्यम से देश भर में विशिष्ट परियोजना क्षेत्रों या किसी अन्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों में उत्पादित मसालों के लिए बिक्री पूर्व, बिक्री और बिक्री के बाद की गतिविधियों के संबंध में एंड-टू-एंड एकीकृत समाधान प्रदान करने में सक्षम उपयुक्त सेवा प्रदाता का चयन और नियुक्ति करना है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मिर्च, हल्दी, अन्य मसालों आदि के बढ़ते क्षेत्रों में परियोजना को पायलट करने और देश भर के अन्य राज्यों/क्षेत्रों में आगे विस्तार करने का प्रस्ताव है।

सेवा प्रदाता अपने स्वयं के एक अनुकूलित और सुरक्षित सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मसालों की ऑनलाइन बिक्री करेगा, जिसे ई-मसाला बाजार वेब पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। मसालों की ऑनलाइन बिक्री स्पाइसेस बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी। इसके अलावा प्लेटफॉर्म में भुगतान गेटवे/निपटान तंत्र को शामिल करने का प्रावधान होगा।

सेवा प्रदाता ई-मसाला बाजार पोर्टल को बढ़ावा देगा, ई-मसाला बाजार पोर्टल में खरीदारों और विक्रेताओं को पंजीकृत करेगा, पोर्टल के माध्यम से उत्पाद की बिक्री को सक्षम और निगरानी करेगा, आवश्यक सहायता सेवाओं जैसे रसद, भंडारण/कोल्ड स्टोरेज, गुणवत्ता मूल्यांकन/परख और रिपोर्टिंग आदि का लाभ उठाने में मदद करेगा और हितधारकों द्वारा खरीदार और विक्रेता के बीच कड़ी के रूप में कार्य करेगा। इसके अलावा, सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि अंततः खरीदार को आपूर्ति किए गए मसाले विक्रेता द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए मसालों की गुणवत्ता और मात्रा से मेल खाते हैं और आगे यह सुनिश्चित करेंगे कि भुगतान निर्धारित समय में हो।

पात्र फर्म को 3 वर्ष की अवधि के लिए सकारात्मक रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा, जिसे पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

5. अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई)

स्पाइसेस बोर्ड ने अपने स्वयं के अनुकूलित और सुरक्षित सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मसालों की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के कार्य के लिए सक्षम फर्मों से ईओआई को आमंत्रित किया। सेवा प्रदाता के पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को संचालित करने का पूरा अधिकार होगा। सेवा प्रदाता के प्लेटफॉर्म को बोर्ड के ई-मसाला बाजार पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा और सेवा प्रदाता प्लेटफॉर्म के माध्यम से मसालों की घरेलू बिक्री के लिए एंड-टू-एंड एकीकृत समाधान प्रदान करेगा। सेवा प्रदाता का कार्य करने की इच्छुक फर्में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए मसालों की बिक्री को सुगम बनाने के लिए उपयोक्ता अनुकूल और प्रभावी व्यापार मॉडल प्रस्तुत करेंगी।

6. न्यूनतम पात्रता मानदंड

क्र.सं.	न्यूनतम पात्रता मानदंड	सहायक दस्तावेज़
1	आवेदक एक कानूनी इकाई होगी, जो भारत में संबंधित अधिनियमों के अंतर्गत कंपनी, फर्म या सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और पिछले 2 वर्षों से भारत में अस्तित्व में है। फर्मों का एक कंसोर्टियम (अधिकतम तीन), जो ऊपर दिए गए मानदंडों को पूरा करता है, ईओआई में भी भाग ले सकता है।	कंपनी निगमन प्रमाणपत्र या आरओसी से पंजीकरण प्रमाणन या कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज़ कंसोर्टियम बनाने के लिए समझौता ज्ञापन/एलओआई / समझौता

	सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने वाली फर्म कंसोर्टियम का प्रमुख सदस्य होगा, जो सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होगा और स्पाइसेस बोर्ड केवल कंसोर्टियम के प्रमुख सदस्य से ही संव्यवहार करेगा। हालांकि, कंसोर्टियम के सभी सदस्य ईओआई दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे।	
2	आवेदक को उचित कर और अन्य प्रशासनिक प्राधिकारियों के साथ भारत में पंजीकृत होना चाहिए	जीएसटी पंजीकरण पैन कार्ड
3	आवेदक का पिछले तीन निर्धारण वर्षों (निर्धारण वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21) के दौरान औसतन 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक का कारोबार होना चाहिए और पिछले 3 निर्धारण वर्षों में एक लाभप्रद फर्म होना चाहिए	वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि, कंपनी के लेखापरीक्षित लाभ और हानि विवरण और तुलन-पत्र के साथ अनुपालन दर्शाते हुए सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
4	आवेदक को पिछले 2 वर्षों से प्रतिष्ठित सरकारी /सरकारी उपक्रम/पीएसयू/निजी संगठनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/किसी अन्य समान प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं की समान इलेक्ट्रॉनिक बिक्री करने का अनुभव होना चाहिए।	अनुबंध-3 में उल्लिखित सहायक दस्तावेजों के साथ कार्य आदेश और संचालित परियोजना का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा । अधिग्रहित परियोजनाओं का ब्यौरा जिनका कार्यान्वयन अभी किया जाना है, यदि कोई हो, अतिरिक्त जानकारी के रूप में भी प्रदान किया जाना चाहिए ।
5	आवेदक को आईटी व्यवसायियों सहित आंतरिक संसाधन आधार में तकनीकी रूप से योग्य और अच्छी तरह से अनुभवी सुदृढ़ होना चाहिए	प्रमुख कर्मचारियों की संख्या सहित उनकी योग्यता, अनुभव का सामान्य प्रोफाइल प्रस्तुत किया जाएगा
6	कंपनी को किसी भी राज्य/केंद्र सरकार/यूटी प्रशासन/अर्ध सरकारी संगठन/पीएसयू या किसी भी कंपनी द्वारा काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए था ।	स्व-प्रमाणन/घोषणा

7. कार्य-क्षेत्र/प्रदेय

1) स्पाइसेस बोर्ड अपने स्वयं के अनुकूलित और सुरक्षित सार्वजनिक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मसालों की ऑनलाइन बिक्री शुरू करने के लिए सक्षम और अनुभवी फर्मों से सेवाएं प्राप्त करना चाहता है, जिसे उपयुक्त एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से ई-मसाला बाजार वेब पोर्टल में एकीकृत किया जाएगा। फर्म अपने मौजूदा प्लेटफॉर्म पर संशोधनों को बढ़ावा देने और बोर्ड द्वारा अनुशंसित सुविधाओं को लागू करने, एकरूपता के लिए और परियोजना के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए तैयार होंगी। फर्म के पास इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए पूर्ण अधिकार होंगे और उसे नवीनतम प्रौद्योगिकी के साथ मिलकर उद्योग में सर्वोत्तम व्यवहार करने के लिए सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

2) फर्म एक उपयोगकर्ता के अनुकूल और प्रभावी व्यापार मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर मसालों की ऑनलाइन बिक्री की सुविधा के लिए उत्तरदायी होगी। प्रस्तावित मॉडल प्रकृति में अभिनव होगा और बड़ी संख्या में खरीदारों और विक्रेताओं को समायोजित करने में सक्षम होगा और इस प्रक्रिया में पारदर्शी और

सुरक्षित तरीके से उचित मूल्य खोज सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा, फर्म द्वारा प्रस्तावित व्यापार मॉडल विक्रेताओं और खरीदारों द्वारा पारदर्शी तरीके से आवश्यक सहायता सेवाओं जैसे रसद, भंडारण/कोल्ड स्टोरेज, गुणवत्ता मूल्यांकन/परख और रिपोर्टिंग आदि का लाभ उठाने में सुविधा प्रदान करेगा, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म में पर्याप्त प्रावधान प्रदान किए जाएंगे।

3) फर्म के व्यापार मॉडल में मसालों का पता लगाने की क्षमता को सक्षम करने का प्रावधान होगा और आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न सिरो के बीच उपज के संचालन की निगरानी के लिए प्रावधान होंगे।

4) यह फर्म मसाला उत्पादकों, निर्यातकों, प्रोसेसरों, व्यापारियों, अन्य हितधारकों आदि के बीच ई-मसाला बाजार पोर्टल के उपयोग को बढ़ावा देगा।

5) यह फर्म मसाला उत्पादकों के साथ-साथ एफपीओ/सोसायटियों/समूहों की पहचान करने के लिए उत्तरदायी होगी जो विभिन्न मसालों को एकत्रित कर सकते हैं और वेब पोर्टल के माध्यम से किसानों/एफपीओ/सोसायटी/समूहों द्वारा मसालों की बिक्री को सुगम बना सकते हैं। बोर्ड, मसाला उत्पादकों के साथ-साथ एफपीओ/सोसायटी/समूह आदि की पहचान के लिए संभावित सहायता प्रदान करेगा।

6) यह फर्म स्पाइसेस बोर्ड के कार्यालयों, अन्य संगत विभागों और संगठनों आदि से सहायता प्राप्त करके वेब पोर्टल में मसालों के उत्पादकों, एफपीओ/सोसायटियों/समूहों, व्यापारियों और निर्यातकों के पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।

7) बोर्ड के अनुमोदन से फर्म एफपीओ/समूहों को एफपीओ/समूहों को एफपीओ/समूह को प्रदान करेगी जो एफपीओ/समूह के सदस्य हैं, जो एफपीओ/समूह के सदस्य हैं, ताकि पोर्टल के माध्यम से बिक्री/बेचे जाने वाले लॉटों का पता लगाने की क्षमता हो सके।

8) ऐसी फर्म अपनी सेवाओं के लिए प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं से बोर्ड के अनुमोदन के अनुसार शुल्क ले सकती हैं।

9) इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को स्पाइसेस बोर्ड के ई-मसाला बाजार पोर्टल में एकीकृत करना होगा और इसे बोर्ड के प्लेटफॉर्म के रूप में जाना जाएगा।

10) स्पाइसेस बोर्ड "ब्लॉकचेन ट्रेसिबिलिटी इंटरफेस फॉर इंडियन स्पाइसेसजेट" विकसित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूनडीपी) के साथ सहयोग कर रहा है। यूनडीपी द्वारा एक बार विकसित इस इंटरफेस को ई-मसाला बाजार पोर्टल के साथ एकीकृत करने का प्रस्ताव है। इसलिए, ई-मसाला बाजार पोर्टल के साथ एकीकरण को सक्षम करने के अलावा फर्म के प्लेटफॉर्म पर पता लगाने की क्षमता इंटरफेस के साथ-साथ स्पाइसेस बोर्ड और अन्य तृतीय पक्षों के साथ निर्बाध एकीकरण की सुविधा होनी चाहिए।

11) प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री के लिए रखे गए मसालों के गुणवत्ता मूल्यांकन को सुविधाजनक बनाने के साथ-साथ विश्लेषणात्मक परिणामों के प्रदर्शन को व्यापार मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर शामिल किया जाएगा।

12) फर्म का प्लेटफॉर्म ऑनलाइन भुगतान करने में सक्षम होगा और इसमें एक निपटान तंत्र/एस्करो प्रणाली/अन्य उपयुक्त तंत्र का उपयोग करके विभिन्न हितधारकों/पक्षों को लागू शुल्क/राशि का मार्ग बनाने की सुविधा के साथ भुगतान गेटवे का प्रावधान होगा।

- 13) यह फर्म स्पाइसेस बोर्ड के नामित अधिकारियों और बोर्ड द्वारा चिन्हित/अनुमोदित अन्य हितधारकों को कम से कम 1 सप्ताह की अवधि के लिए परिचालन प्रशिक्षण प्रदान करेगी।
- 14) फर्म व्यापार मॉडल, व्यापार आदि की कार्यप्रणाली आदि के संबंध में सभी सामग्री/दस्तावेज स्पाइसेस बोर्ड और बोर्ड द्वारा चिन्हित/अनुमोदित अन्य हितधारकों को उपलब्ध कराएगी।
- 15) इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की सभी सामग्री अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी/स्थानीय भाषा में भी होनी चाहिए।
- 16) यह फर्म ई-मसाला बाजार पोर्टल में रियल टाइम ट्रेड डेटा को अपडेशन की सुविधा देगी और जरूरत पड़ने पर बोर्ड सिस्टम जेनरेटेड रिपोर्ट/लॉग्स को भी उपलब्ध कराएगी।
- 17) फर्म दिन-प्रतिदिन के आधार पर व्यापार मॉडल के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के प्रभावी कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए समर्पित संसाधन प्रदान करेगी। फर्म के पास तकनीकी के साथ-साथ गैर तकनीकी संसाधन होने चाहिए। इसके अलावा, फर्म शाखाओं/कार्यालयों को नामित करेगी जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर व्यवसाय को संभालेंगे।
- 18) नीति या तकनीकी स्तर पर किसी भी परिवर्तन को फर्म द्वारा रियल टाइम बेसिस पर स्पाइसेस बोर्ड को सूचित करना होगा।
- 19) फर्म 24x7 हेल्प डेस्क उपलब्ध कराएगी। हेल्प डेस्क को हितधारकों के ई-मेल के कॉल और उत्तर प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। कोई भी मामला जो हेल्प डेस्क द्वारा हल नहीं किया जा सकता था, उसे शीघ्र समाधान और त्वरित समाधान के लिए समर्पित टीम या अगले स्तर पर भेजा जाना चाहिए।
- 20) फर्म बोर्ड द्वारा प्लेटफॉर्म की स्वीकृति से पहले परीक्षण के लिए स्पाइसेस बोर्ड को प्लेटफॉर्म तक पहुंच प्रदान करेगी।
- 21) फर्म के एक अधिकारी को स्पाइसेस बोर्ड और उद्योग के अन्य हितधारकों के साथ संपर्क के एक बिंदु (एसपीओसी) के रूप में बातचीत करने के लिए नामित किया जाएगा।

8. ईओआई प्रस्तुति में शामिल दस्तावेज

फर्मों द्वारा प्रस्तुत ईओआई में निम्नलिखित दस्तावेज होंगे;

ईओआई प्रस्तुति प्रपत्र (अनुबंध 1) ईओआई की विधिवत हस्ताक्षरित प्रतिलिपि के साथ फर्म के लेटरहेड में

2. कंपनी प्रोफाइल
3. निर्धारित प्रारूप में घोषणा (अनुबंध 2)
4. न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए दस्तावेजी प्रमाण
5. पंजीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र/या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रतिलिपि
6. पैन की कॉपी
7. कर पंजीकरण की प्रतिलिपि (जीएसटी)
8. पिछले 3 निर्धारण वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित तुलनपत्र और लाभ और हानि खाते की प्रतिलिपि
9. पिछले 3 निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी की प्रतिलिपि और फर्म के सनदी लेखाकार से प्रमाणपत्र

10. प्रासंगिक कार्य आदेशों की प्रतिलिपि के साथ अनुभव का प्रमाण (अनुबंध 3)

11. प्रचालन के वरीय क्षेत्र (अनुबंध 4)

टिप्पणी

दस्तावेज में उल्लिखित अंतिम तिथि और समय के बाद डाक/ईमेल द्वारा प्राप्त ईओआई को इस मामले पर बिना किसी और संचार के अस्वीकार कर दिया जाएगा।

स्पाइसेस बोर्ड इंडिया का किसी अन्य जानकारी मंगवाने का अधिकार सुरक्षित है। फर्म द्वारा दी गई किसी भी जानकारी, यदि किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है, तो फर्म को अपात्र घोषित किया जाएगा।

किसी भी डाक देरी के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा। ईओआई के लिए अधूरी प्रतिक्रियाएं सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी। बोर्ड को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी प्रतिक्रियाओं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

9. चयन प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया दो चरणों में की जाएगी।

चरण I: रूचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करना (ईओआई)

स्पाइसेस बोर्ड की मूल्यांकन समिति ईओआई को प्रतिक्रियाएं मिलने पर केवल उन्हीं फर्मों को शॉर्ट लिस्ट करेगी जो खंड संख्या 6 पर दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं।

ईओआई की प्रतिक्रियाओं का मूल्यांकन

क्र.सं.	मानदंड उप-मानदंड	स्कोर	
		मानदंड कुल	उप-मानदंड
1	फर्म का पिछला अनुभव (ट्रेक रिकॉर्ड)	70	
क	प्रतिष्ठित सरकार/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकायों/पीएसयू/निजी संगठनों में इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/किसी अन्य समान प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं की समान ऑनलाइन बिक्री करने में फर्म के वर्ष के प्रासंगिक अनुभव की संख्या 4 या अधिक वर्ष- 30 अंक 3 वर्ष और 4 वर्ष से कम: 20 अंक 2 वर्ष और 3 वर्ष से कम: 10 अंक		30
ख	इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म/किसी भी अन्य समान प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं की समान ऑनलाइन बिक्री करने के लिए की गई परियोजनाओं की संख्या 2 या अधिक परियोजनाएं: 20 अंक 1 परियोजना: 10 अंक		20

ग	इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से कृषि/बागवानी वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री करने के लिए की गई परियोजनाओं की संख्या 2 या अधिक परियोजनाएं: 10 अंक 1 परियोजना: 5 अंक		10
घ	सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों आदि के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म /इसी तरह की किसी भी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से वस्तुओं की इलेक्ट्रॉनिक बिक्री के लिए परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने का विगत अनुभव । 2 या अधिक परियोजनाएं: 10 अंक 1 परियोजना: 5 अंक		10
2	कारोबार के मामले में फर्म की समग्र वित्तीय सुदृढ़ता पिछले 3 निर्धारण वर्षों के दौरान औसत वार्षिक कारोबार 4 करोड़ से अधिक- 30 अंक 2 करोड़ से लेकर 4 करोड़ से कम- 20 अंक 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ से कम- 10 अंक	30	

अधिकतम प्राप्तांक 100 होंगे। फर्मों को उनके स्कोर के आधार पर रैंक दिया जाएगा । विशेष क्षेत्र/राज्य में मसालों की ऑनलाइन बिक्री करने के लिए निविदा प्रक्रिया के आगे के चरणों के लिए तीन से अधिक फर्मों को सकारात्मक रूप से शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव है। हालांकि, बोर्ड अपने विवेक पर आवश्यकता के आधार पर तीन से अधिक फर्मों को शॉर्टलिस्ट करने पर विचार करेगा

यदि आवश्यक समझा जाता है, तो स्पाइसेस बोर्ड फर्मों द्वारा प्रस्तुत ईओआई के किसी भी पहलू पर स्पष्टीकरण मांगेगा। यदि किसी प्रतिक्रिया का अनुरोध किया जाता है, तो इसे ईमेल द्वारा 3 दिनों के भीतर प्रदान करना होगा। 3 दिनों के बाद प्राप्त प्रतिक्रिया, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह फर्म को पहले से प्रस्तुत अपने ईओआई दस्तावेज के पदार्थों में किसी भी परिवर्तन को बदलने या कारण देने का हकदार नहीं होगा स्पाइसेस बोर्ड भी इसी तरह की परियोजनाओं के संबंध में फर्मों के पिछले प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए पूछताछ करेगा। आवेदन में प्रस्तुत या बाद में प्राप्त की गई सभी जानकारी को गोपनीय माना जाएगा।

द्वितीय चरण: प्रस्तावों के लिए अनुरोध

दूसरे चरण में, तकनीकी और वाणिज्यिक बोलियों वाले प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरआरपी) केवल ऐसी शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों से आमंत्रित किया जाएगा ताकि विजेता बोलीदाता का चयन किया जा सके। तकनीकी बोली में फर्म का बिजनेस मॉडल और अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे, जिन्हें आरआरपी में निर्दिष्ट किया जाएगा। वाणिज्यिक बोली विक्रेताओं और खरीदारों से क्रमशः सेवा प्रदाता द्वारा एकत्र किए जाने वाले लेनदेन शुल्क को संदर्भित करती है। इस संबंध में विवरण और प्रारूप आरएफपी के भाग के रूप में शॉर्टलिस्ट की गई फर्मों को उपलब्ध कराए जाएंगे।

10. ईओआई के लिए आमंत्रण की संशोधन/अस्वीकृति/समाप्ति

स्पाइसेस बोर्ड किसी भी स्तर पर इस प्रक्रिया को रोक या वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अलावा, बोर्ड को इस दस्तावेज के किसी भी या सभी प्रावधानों को बदलने/संशोधित/संशोधित/रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। ईओआई दस्तावेज में इस तरह के संशोधन, स्पाइसेस बोर्ड और CPP पोर्टल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। ईओआई में भाग लेने के लिए फर्मों को कोई शुल्क, जो भी दावा किया जा सकता है/भुगतान नहीं किया जाएगा।

अनुबंध

अनुबंध I-ईओआई प्रस्तुति प्रपत्र (कंपनी लेटर हेड में जमा किया जाना है)

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1	फर्म का नाम	
2	स्थापना का वर्ष	
3	निगमन का स्थान	
4	पंजीकृत कार्यालय का पता	
5	संगठन के प्रमुख का नाम, पदनाम, पता, संपर्क विवरण और ईमेल आईडी	
6	इस प्रस्ताव को संभालने वाले संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम, पता, फोन नंबर और ईमेल आईडी	
7	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम, पदनाम, पता, फोन नं. और ईमेल आईडी	
8	कंपनी की वेबसाइट	
9	कंपनी प्रोफाइल (सामान्य प्रोफाइल सहित प्रमुख कर्मचारियों की योग्यता, अनुभव और उनकी संख्या)	
10	बोलीदाता की कानूनी स्थिति (मालिक/साझेदारी/निजी लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/पीएसयू/अन्य आदि)	
11	जीएसटी पंजीकरण (प्रतिलिपि संलग्न)	
12	पैन नंबर (प्रतिलिपि संलग्न)	
13	पिछले 2 वर्षों में प्रतिष्ठित सरकार/सरकारी उपक्रम/पीएसयू/निजी संगठनों में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/किसी भी अन्य समान प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं की समान इलेक्ट्रॉनिक बिक्री आयोजित करने में कार्य अनुभव	
14	पिछले 3 निर्धारण वर्षों का कारोबार(समर्थन दस्तावेज संलग्न)	निर्धारण वर्ष 2018-19: निर्धारण वर्ष 2019-20: निर्धारण वर्ष 2020-21:

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

पूरा नाम:

पदनाम:

फर्म का नाम और पता:

सील:

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध 2- घोषणा (कंपनी लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है)

मैं/हम (नाम),.....इसके द्वारा सत्यनिष्ठा से पुष्टि करते हैं और घोषणा करते हैं कि किसी सरकारी विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन द्वारा व्यक्तिगत/फर्म/कंपनी को काली सूचि में नहीं डाला गया है। इसके अलावा, किसी भी सरकारी विभाग/पीएसयू/स्वायत्त निकाय/निजी संगठन या न्यायालय द्वारा हमारे विरुद्ध कोई मुकदमेबाजी जांच लंबित नहीं है और/या शुरू नहीं की गई है।

मैं/हम.....(नाम)..... (पदनाम..... (फर्म का नाम)
..... ई-मसाला बाजार पोर्टल के माध्यम से मसालों की बिक्री को सक्षम करने के लिए फर्मों से रूचि अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए निमंत्रण को पढ़ा और समझा है और इसके द्वारा इसकी शर्तों का पालन करना स्वीकार किया है।

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

पूरा नाम:

पदनाम:

फर्म का नाम और पता:

सील:

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध 3- अनुभव प्रपत्र (कंपनी लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है)

मैंने/हमने(फर्म का नाम)ने आयोजकों की संतुष्टि के लिए प्रतिष्ठित सरकार/सरकारी उपक्रम/स्वायत्त निकायों/पीएसयू/निजी संगठनों में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/किसी अन्य समान प्रक्रियाओं के माध्यम से वस्तुओं की इलेक्ट्रॉनिक बिक्री सफलतापूर्वक आयोजित की है।

मैंने/हमने..... अपने अनुभव के प्रमाणपत्रों की विधिवत स्व-प्रमाणित प्रतियां भी संलग्न की हैं (संबंधित संगठनों का परियोजना पूर्णता प्रमाणपत्र और प्रदर्शन प्रमाणपत्र, संबंधित संगठन में परियोजना को संभालने वाले नोडल व्यक्ति के नाम, पदनाम, ईमेल आईडी और संपर्क विवरण)।

क्र.सं.	जिस संगठन के लिए काम पूरा हो चुका है, उसका नाम और पता	नोडल व्यक्ति का नाम, पदनाम, ई-मेल आईडी और संबंधित संगठन का संपर्क नम्बर	पूर्ण किए गए कार्य का ब्यौरा	आदेश संख्या और तिथि	प्लेटफार्म के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुएं	आदेश का मूल्य	कार्य पूरा होने की तिथि	टिप्पणियां

(प्रासंगिक कार्य आदेशों की प्रति संलग्न करें)

जिन परियोजनाओं का अधिग्रहण किया किन्तु उनका कार्यान्वयन अभी किया जाना है, उनका ब्यौरा, यदि कोई हो, तो अतिरिक्त जानकारी के रूप में भी उपलब्ध कराया जाए।

(अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

पूरा नाम:

पदनाम:

फर्म का नाम और पता:

सील:

स्थान:

दिनांक:

अनुबंध 4 - प्रचालन के वरीय क्षेत्र (कंपनी के लेटर हेड में प्रस्तुत किया जाना है)

मेरी/हमारी(फर्म का नाम)एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मसालों की इलेक्ट्रॉनिक बिक्री करने में रुचि है जिसे भारत के निम्नलिखित राज्यों/केंद्रों में स्पाइसेस बोर्ड के ई-मसाला बाजार पोर्टल में एकीकृत किया जाना है:

क्र.सं.	राज्य/यूटी का नाम	मसाले जिसके लिए ऑनलाइन बिक्री शुरू करने का प्रस्ताव है *

*गैर अनिवार्य फ़िल्ड। फर्म मसालों (इलायची के अलावा) का संकेत दे सकती हैं, जिन्हें प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने का प्रस्ताव है

(आवश्यक होने पर अतिरिक्त लाइनें खींचें)